

वादीगण अनुपस्थित, उनकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदयाल सहित, 02, 03 एवं 05 लगायत 07 द्वारा श्री जी.एस.गुर्जर अधिवक्ता।

प्रतिवादी क्रमांक 04 एवं 08 लगायत 11 पूर्व से एक पक्षीय।

प्रकरण आज प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

प्रतिवादी क्रमांक 01 रामदयाल ने उसके अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर स्वयं का मुख्य परीक्षण शपथ-पत्र एवं एक आवेदन अन्तर्गत आदेश 08 नियम 01 सीपीसी व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 के वाद व्यवहार क्रमांक 07-ए/2015 की निर्णय दिनांक : 01/02/2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित प्रस्तुत किया।

बार-बार पुकार लगवाये जाने पर भी वादीगण या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादीगण की इस अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादीगण का वाद निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद